



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1381 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1381

**विषय/Sub: कैविटी बैकड स्पाइरल एंटेना (फ्रिक्वेंसी:0.5-18 गिगा हर्ट्ज़/
Cavity Backed Spiral Antenna (Freq: 0.5-18 GHz)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, चंद्रायनगुट्टा, हैदराबाद - 500 005 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स एसीडी कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 43 आईडीए, फेस-1, चेरालपल्ली, हैदराबाद- 500 051 द्वारा उत्पादित "कैविटी बैकड स्पाइरल एंटेना (फ्रिक्वेंसी:0.5-18 गिगा हर्ट्ज़" मॉडल सं. एसए-0518-डब्ल्यूआरएससी और बीइएल पार्ट सं. 4767 723 501 को संदर्भ सं. सेमिलेक/ 5070/टीए-1381, दिनांक 05 दिसंबर 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1381 जारी किया था जो कि 31 दिसंबर 2013 तक वैध था।

This is to state that the Cavity Backed Spiral Antenna (Freq:0.5-18GHz), bearing the Model No. SA-0518-WRSC & BEL Part No. 4767 723 501 96 designed and developed by Defence Electronics Research Laboratory, Chandrayanagutta, Hyderabad - 500 005 and manufactured by M/s. ACD Communications Pvt. Ltd., Plot No. 43, IDA, Phase - 1, Cherlapally, Hyderabad - 500 051 was issued with Type Approval No. 1381 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-1381, dated: 05th Dec 2008 and was valid upto 31st Dec 2013.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अप्रैल 2014 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Apr 2014 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1381/1R

दिनांक/Date : 11 Apr 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

10/Jul/14 10/Jul/14

(पी.जयपाल, वै.'जी'/P. JAYAPAL Sc. 'G')

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)